अध्याय-13

कनॉट प्लेस में खुले क्षेत्रों में अतिरिक्त निर्माण

कनॉट प्लेस के खुले क्षेत्रों में निम्न भुगतान करने पर अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दी जाएगी:-

(क) अतिरिक्त अधिमूल्य वाणिज्यिक उद्देश्य वाली भूमि के निर्धारित मौजूदा बाजार मूल्य तथा अंतिम अंतरण के समय लागू वाणिज्यिक मूल्य के अंतर के 50% के बराबर है।

(ख) अतिरिक्त भूमि किराये की दर उपरोक्त दो मूल्यों के मध्य कुल अंतर की 2½% (2.5 प्रतिशत) है।

अतिरिक्त अधिमूल्य की वसूली चार समान किश्तों में की जा सकती है, जिसमें से पहली किश्त तत्काल, दूसरी किश्त दो वर्ष की समाप्ति पर तथा तीसरी व चौथी किश्तें चौथे व पांचवे वर्ष जमा करनी होंगी। अतिरिक्त भूमि किराया तीन वर्ष पूरे होने पर या भवन का निर्माण पूर्ण होने पर, जो भी पहले होगा, देय होगा।

नोटः

(क) मठों, स्कूलों/अस्पतालों से कोई अतिरिक्त भूमि किराया नहीं वसूला जाएगा क्योंकि स्कूल/अस्पताल भवनों को उनके वास्तविक उपयोग के लिए छूट प्रदान की गई है।

(ख) विभिन्न संस्थाओं द्वारा उस भूमि पर कराए गए अतिरिक्त निर्माण के लिए भूमि किराया, जिसके लिए भूमि का आवंटन रियायती दरों पर किया गया हो, अतिरिक्त निर्माण [7/19/62-L दिनांकित 25.11.1964] हेतु स्थानीय निकाय द्वारा प्लान की स्वीकृति वाली तिथि पर रियायत लागू होगी।